

## हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 21 जून, 2010

संख्या सी०सी०पी०(एन०सी०आर०)/एफ०बी०डी०-कोट-एम०जी०आर०-धौज/सी०ए०/2010/2380.—चूंकि, सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गए क्षेत्र, भवन गतिविधियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत या मनोरंजनात्मक सम्पदाओं/गतिविधियों तथा उपरोक्त के सहायक उपयोगों के लिए संभाव्य हैं;

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :—

## अनुसूची

गांव कोट, मांगर तथा धौज, जिला फरीदाबाद के ईर्द-गिर्द नियन्त्रित क्षेत्रों की सीमाओं की अनुसूची को झाईंग संख्या डी०टी०पी०(एफ०बी०डी०) 2521/2007, दिनांक 6 नवम्बर, 2007 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर : बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए जो कि गांव मांगर (हदबस्त संख्या 20) की आयत संख्या 94 का उत्तर-पश्चिम कोना है तत्पश्चात् पूर्व की ओर जिला फरीदाबाद की जिला सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि गांव मांगर (हदबस्त संख्या 20) की आयत संख्या 70 का उत्तर-पूर्व कोना है।

पूर्व : तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण की ओर हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे०डी०/डी०टी०ए०-66/जे०डी०-89/870, दिनांक 3 फरवरी, 1987 द्वारा पहले से घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि गांव धौज (हदबस्त संख्या 17) की आयत संख्या 54 का दक्षिण-पूर्व कोना है।

दक्षिण : तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए पश्चिम तथा दक्षिण की ओर गांव धौज (हदबस्त संख्या 17) की आयत संख्या 54, 53 तथा 52 की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ। तत्पश्चात् गांव कोट (हदबस्त संख्या 16) की आयत संख्या 136, 882 तथा 892 की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ। तत्पश्चात् इसी गांव की आयत संख्या 890 की पूर्वी तथा दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ तत्पश्चात् इसी गांव की आयत संख्या 888 की पूर्वी तथा दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गांव कोट (हदबस्त संख्या 16) की आयत संख्या 888 का दक्षिण-पश्चिम कोना है।

पश्चिम : तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर की ओर जिला फरीदाबाद की जिला सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

डी० एस० देसी,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

**Notification**

The 21st June, 2010

**No. CCP(NCR/FBD-KOT-MGR-DHOJ/CA/2010/2380**—Whereas, in the opinion of the State Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, has the potential for building activities, industrial, commercial, institutional or recreational estates/activities and uses subservient to the above;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely :—

**Schedule**

Schedule of boundaries of left out pocket of the controlled area around villages Kot, Manger and Dhoj, district Faridabad to be read with Drawing No. DTP(FBD) 2521/2007, dated the 6th November, 2007.

- North :** Starting from point 'A' i.e. north-west corner of rectangle number 94 of village Manger (Hadbast number 20). Thence towards east along the district boundary of district Faridabad upto point 'B' i.e. north east corner of rectangle number 70 of village Manger (Hadbast number 20).
- East :** Thence moving from point 'B' towards south along the already declared controlled area published in Haryana Government Gazette vide Notification JD/DTA-66/JD-89/870, dated 3rd February, 1987 upto point 'C' i.e. south-east corner of rectangle number 54 of village Dhoj (Hadbast number 17).
- South :** Thence moving from point 'C' towards west and south along the southern boundaries of rectangle number 54, 53 and 52 of village Dhoj (Hadbast number 17). Thence along the southern boundaries of rectangle number 136, 882, 883 and 892 of village Kot (Hadbast number 16). Thence along the eastern and southern boundaries of rectangle number 890 of the same village. Thence along the eastern and southern boundaries of rectangle number 888 of the same village upto point 'D' i.e. south-west corner of rectangle number 888 of village Kot (Hadbast number 16).
- West :** Thence moving from point 'D' towards north along the district boundary of district Faridabad upto point 'A' i.e. point of start.

D. S. DHESI,  
Financial Commissioner and Principal Secretary to  
Government Haryana, Town and Country Planning Department.